## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 17/2024

अनवान : –

1. गुडडी पुत्री चौथुराम पत्नी मुखराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर हाल घातेड़ तहसील रानिया जिला सिरसा।
2. पारी पुत्री चौथुराम पत्नी राजाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर हाल घातेड़ तहसील रानिया जिला सिरसा।
3. सन्दीप पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्ण पुत्र चौथुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
3. हरिराम पुत्र चौथुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
4. लिछमा पत्नी स्व0 इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
5. कालुराम पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
7. सपना रानी पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
8. ममता पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **वादी**
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः -04/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता संख्या 129/126 की कुल 4.7800 हैक्ट भूमि स्थित है जो की पूर्व में चौथुराम की खातेदारी कृषि भूमि थी। चौथुराम की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि का विरासतन नामान्तरण उसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 उनकी पत्नी जो अब फौत हो गयी है तथा मृतक इन्द्राज के नाम से दर्ज हुआ।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय वादिया संख्या 1 का नाम गुडडी की जगह परमेश्वरी वादीया संख्या 2 का नाम पारी की जगह मनी तथा वादीयान की माता का नाम नाम वीरो की जगह मीरा दर्ज कर दिया। अतः वादी संख्या 1 का नाम गुडडी व वादीया संख्या 2 का नाम पारी तथा वादीगण की माता का नाम [illegible] दर्ज किया जावे। इन्द्रपाल फौत हो चुका है उनके वारिस वादी संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 है जो उनके जायज वारिस है तथा जिनका उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा है जिसे वो अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:57:28 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रतिवादी संख्या 4 व वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 की सभी बहने है प्रतिवादीगण संख्या 4 व 6 ता 8 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है इन्होने अपना समस्त हक हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ता 8 का कोई हक हिस्सा शेष नही है।

वीरो देवी जो की राजस्व रिकार्ड में मीरा देवी है फौत हो चुकी है तथा जिनके नाम से 1/6 हिस्सा भूमि दर्ज है उक्त हिस्सा में वादिया सं0 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 4 व प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए मृतक मीरा उर्फ वीरों देवी का नाम 1/6 हिस्सा में वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व वादी संख्या 3 व 5 के नाम बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं मीरा उर्फ वीरोदेवी का नाम राजस्व रिकार्ड से कमलजन करवा पाने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त नामों का गलत अंकन होने के कारण वो अपनी कृषि भूमि का सिवाय काश्त के और सिकी उपयोग में नही ले पा रहे है अतः अपना सही नाम दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने तथा अपना नाम सही करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 ता 8 की तरफ से श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा ढाणी चारनान खाता संख्या 127, मृत्यु प्रमाण पत्र वीरो देवी, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्द्राज, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र गुडडी देवी, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र पारी देवी, वारिस प्रमाण पत्र इन्द्राज, मीरा उर्फ बीरो देवी पत्नी चौथुराम, गुडडी उर्फ प्रमेश्वरी पुत्री चौथुराम, पारी उर्फ मनी पुत्री चौथुराम के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र, सदस्य प्रमाण पत्र वीरो उर्फ मीरा आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। [illegible] बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई [illegible] है जो वर्तमान में वादी की माता के नाम दर्ज है वादी की माता मीरा उर्फ वीरो देवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:57:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्य 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीया संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में परमेश्वरी, वादीया संख्या 2 का नाम मनी तथा वादीयान की माता का नाम मीरा कर दिया है जबकि इनका वास्तविक नाम मुताबिक दस्तावेजों के वादीया संख्या 1 का नाम गुडडी, वादीया संख्या 2 का नाम पारी तथा वादीयान की माता का नाम वीरो देवी है। अतः इनके सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता संख्या 129/126 की कुल 4.7800 हैक्ट भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि इन्द्राज पुत्र चौथुराम व मीरा उर्फ वीरो देवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 है। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी संख्या 3 एवं प्रतिवादी स0 5 के पक्ष में त्याग दिया है। वादीया संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में परमेश्वरी, वादीया संख्या 2 का नाम मनी तथा वादीयान की माता का नाम मीरा कर दिया है जबकि इनका वास्तविक नाम मुताबिक दस्तावेजों के वादीया संख्या 1 का नाम गुडडी, वादीया संख्या 2 का नाम पारी तथा वादीयान की माता का नाम वीरो देवी है। वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा चौथुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा आधार कार्ड वादीया संख्या 2, वादीया संख्या 1 तथा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नाम के संबंध में तस्दीक प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये गये है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:57:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता संख्या 129/126 की कुल 4.7800 हैक्ट भूमि में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

दर्ज वादीयान संख्या 1 व 2 के नाम परमेश्वरी के स्थान पर गुडी देवी व मनी के स्थान पर पारी दर्ज किया जाता है तथा रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता संख्या 127/126 की कुल 4.7800 हैक्ट भूमि में मृतक मीरोदवी उर्फ वीरोदेवी व मृतक इन्द्राज पुत्र चौथुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:57:28 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 17/2024

अनवान : –

1. गुडडी पुत्री चौथुराम पत्नी मुखराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर हाल घातेड़ तहसील रानिया जिला सिरसा।
2. पारी पुत्री चौथुराम पत्नी राजाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर हाल घातेड़ तहसील रानिया जिला सिरसा।
3. सन्दीप पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।

**– वादीगण**

**बनाम्**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. कृष्ण पुत्र चौथुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
3. हरिराम पुत्र चौथुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
4. लिछमा पत्नी स्व0 इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
5. कालुराम पुत्र इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
7. सपना रानी पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।
8. ममता पुत्री इन्द्राज जाति मेघवाल निवासी ढाणी चारनान तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 17 सन 2024 निर्णय दिनांक** – 06/03/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री मांगीलाल देहडू एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता संख्या 127/126 की कुल 4.7800 हैक्ट भूमि में दर्ज वादीयान संख्या 1 व 2 के नाम परमेश्वरी के स्थान पर गुडी देवी व मनी के स्थान पर पारी दर्ज किया जाता है तथा रोही मौजा ढाणी चारनान तहसील नोहर के खाता संख्या 127/126 की कुल 4.7800 हैक्ट भूमि में मृतक मीरोदवी उर्फ वीरोदेवी व मृतक इन्द्राज पुत्र चौथुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है ।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:57:28 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर